

संघ लोक सेवा आयोग
सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2017
उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन-प्रपत्र भरने के बारे में अनुदेश

उम्मीदवारों को चाहिए कि वे ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) भरने से पूर्व सभी उम्मीदवार नीचे उल्लिखित अपने संगत मूल दस्तावेजों को 200 डीपीआई ग्रे स्केल में स्कैन भी कर लें और उसे अधिकतम 2 एमबी तक की एक ही पीडीएफ फाइल में परिवर्तित कर लें। इस प्रकार तैयार की गई पीडीएफ फाइल, पासवर्ड के जरिए सुरक्षित न हो और इस फाइल को डीएएफ को ऑनलाइन सब्मिट करते समय ही अपलोड किया जाना चाहिए।

- (I) आयु संबंधी प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- (II) आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए परीक्षा के नोटिस के पैरा 3 (iii) और भारत के राजपत्र दिनांक 26 अप्रैल, 2017 में प्रकाशित परीक्षा की नियमावली के **नियम 6** में निर्धारित शैक्षिक अर्हता दर्शाने वाले प्रमाण-पत्रों की स्कैन की गई प्रति।
- (III) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक विकलांग से संबंधित होने के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति (जहां कहीं लागू हो)।
- (IV) अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के रूप में छूट प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के मामले में उनके क्रीमी लेयर से संबद्ध न होने के समर्थन में संबंधित उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित परिवचन की स्कैन की गई प्रति। यह परिवचन परिशिष्ट-I के पैरा बी-1 में दिए गए प्रारूप में होना चाहिए।
- (V) अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के रूप में रियायत प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र के अनुबंध में दिए अनुसार विधिवत् रूप से भरे गए और हस्ताक्षर किए गए प्रोफार्मा की स्कैन की गई प्रति।
- (VI) आयु में रियायत के दावे, जहां कहीं लागू हो, के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- (VII) शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवार के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति (जहां कहीं लागू हो)।
- (VIII) रेल मंत्रालय के तदर्थ डॉक्टरों के लिए आयु में छूट देने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉपी [पैरा 3 (II) (बी) (viii) देखें]

ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र की विधिवत हस्ताक्षरित प्रतिलिपि उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति सहित, सभी दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ, साक्षात्कार के समय या साक्षात्कार के अंतिम दिन, जिसकी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर यथासमय उपलब्ध करा दी जाएगी, तक प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह भी नोट कर लिया जाए कि दस्तावेजों की जांच की अंतिम तिथि को किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उम्मीदवार कृपया यह नोट कर लें कि वे मूल दस्तावेजों की केवल स्कैन की गई प्रतियां ही अपलोड करें। किसी भी दस्तावेज को डाक के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं है।

2. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दिनांक 26 अप्रैल, 2017 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित परीक्षा की नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जिसमें पात्रता की शर्तें आदि सम्मिलित हैं। वे यह नोट कर लें कि आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में परिवर्तन करने के संबंध में किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः, उम्मीदवारों को चाहिए वे सही रूप से ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को भरने के लिए विशेष सावधानी बरतें।

किसी भी प्रविष्टि के अपूर्ण या भ्रामक होने की स्थिति में इसके परिणाम के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेवार होंगे।

3. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि आवेदन प्रपत्र के संबंधित कॉलम में उन सेवाओं/पदों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें जिनके लिए वे वरीयता क्रम के अनुसार विचारण चाहते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जितनी संख्या में चाहें उतनी संख्या में अपनी वरीयता का उल्लेख करें ताकि योग्यताक्रम में उनके रैंक को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति करते समय उनकी वरीयताओं पर भली-भांति विचार किया जा सके।

टिप्पणी I : रेलवे में सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी के पद के इच्छुक उम्मीदवार, वरीयता क्रम में अधिकतम पांच जोनल रेलवे का विकल्प प्रदान करें। विभिन्न जोनल रेलवे में उनका आबंटन करते समय इन वरीयताओं को भी ध्यान में रखा जाएगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उम्मीदवारों का आबंटन इन्हीं में से किसी रेलवे में किया जाएगा। चूंकि यह सेवा समस्त देश के लिए है, अतः उम्मीदवार को भारतीय रेल के किसी भी जोन में स्थानांतरित किया जा सकता है।

टिप्पणी II : उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन पत्र में पहले ही निर्दिष्ट की जा चुकी वरीयताओं में कुछ भी जोड़ने/परिवर्तन करने के संबंध में किसी भी अनुरोध को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. उम्मीदवारों द्वारा इस ऑनलाइन विस्तृत आवेदन-प्रपत्र में दी गई सूचनाओं का मिलान इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र में पूर्व में दी गई सूचनाओं से किया जाएगा। यदि कोई गंभीर विसंगति पाई जाती है, तो संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

5. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों का होने का दावा करता है, तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले के, जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) आमतौर पर रहते हों, जिला अधिकारी या उपमण्डल अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी से **परिशिष्ट-1** में दिए गए फार्म में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यह प्रमाण-पत्र जारी करने वाला अधिकारी, ऐसा अधिकारी होना चाहिए, जिसे संबद्ध राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए पदनामित किया गया हो। यदि उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो यह प्रमाण-पत्र उस जिले के अधिकारी से प्राप्त किया जाएगा, जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न अन्य प्रयोजन से आमतौर पर रहता है।

6. उम्मीदवार, अपने आवेदन पत्र के साथ, आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 26 अप्रैल, 2017 को अपलोड की गई परीक्षा की अधिसूचना के पैरा 3(iii) तथा भारत के राजपत्र में दिनांक 26 अप्रैल, 2017 को प्रकाशित परीक्षा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत विनिर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के अनुरूप अपनी शैक्षणिक योग्यता को दर्शाते प्रमाण-पत्र की **स्कैन की गई प्रति** भी जमा करेंगे। अपलोड किया गया प्रमाण-पत्र, योग्यता-विशेष प्रमाणित करने वाले संबंधित प्राधिकरण (अर्थात् विश्वविद्यालय अथवा अन्य परीक्षा निकाय) द्वारा जारी हुआ होना चाहिए।

7. उम्मीदवार, आयु के प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्म की तारीख उल्लिखित है) की **स्कैन की गई प्रति** अपने **ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र** के साथ **अपलोड** करेंगे। आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है, जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के या किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। ऐसे उम्मीदवार, जो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों, वे उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की **स्कैन की गई प्रति** प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम तथा सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा इस प्रकार के अन्य प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

अनुदेशों के इस भाग में “मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र” वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती है या आयु के केवल पूरे वर्ष या पूरे वर्ष और महीने ही दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवार को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति भेजनी चाहिए जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण-पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-प्रपत्र के साथ इन अनुदेशों में यथा-निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी 1 : जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र हो उसे केवल आयु से संबंधित प्रविष्टि वाले पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति भेजनी चाहिए।

टिप्पणी 2 : उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा अथवा न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

8.(i) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अधिवासी के रूप में आयु में छूट के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवार को जम्मू व कश्मीर राज्य के उस जिला मजिस्ट्रेट से, जिसके क्षेत्राधिकार में वह सामान्यतः रहा हो या जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा उसके स्थान पर नामित किसी अन्य प्राधिकारी से इस आशय के प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत

करनी होगी कि पहली जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक अवधि के दौरान वह सामान्यतः जम्मू एवं कश्मीर राज्य में रहा हो।

(ii) आयु में छूट चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को जो रक्षा सेवा में कार्य करते हुए अक्षम हुआ है, महानिदेशक पुनः स्थापना, रक्षा मंत्रालय से परिशिष्ट-II में दिए गए फार्म पर इस आशय का एक प्रमाणपत्र लेकर इसकी **स्कैन की गई प्रति** प्रस्तुत करनी चाहिए कि यह रक्षा सेवा में कार्य करते हुए, विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांत क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान अक्षम हुआ और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ।

(iii) आयु में छूट का दावा करने वाले ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारी जैसा उनके अपने मामले में अपेक्षित है, प्रमाण-पत्र की **स्कैन की गई प्रति** संबद्ध प्राधिकारियों से लेकर परिशिष्ट-III में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत करें।

(iv) शारीरिक रूप से विकलांग होने के कारण आयु सीमा में छूट तथा/अथवा परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा परिशिष्ट-IV में दिए गए प्रारूप में जारी किए गए प्रमाण-पत्र की **स्कैन की गई प्रति** प्रस्तुत करें।

परिशिष्ट-I

(क) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* ----- सुपुत्र/सुपुत्री* श्री
----- जो गांव/कस्बा* -----जिला/मंडल*-----
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ----- के/की* निवासी हैं -----अनुसूचित
जाति/जनजाति* के/की* हैं, जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति* के रूप में मान्यता दी गई है :-

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 @

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 @

संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 @

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 @

[अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां की सूची (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम,

1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथासंशोधित]

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 @
संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959,
अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा
यथासंशोधित@

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 @
संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962 @

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 @

संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1967 @

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 @

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968 @

संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970 @

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 @

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 @

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 @

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 @

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 @

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 @

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @

संविधान (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम,
2002 @

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 @

%2 अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं।

यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* -----
ग्राम/कस्बा* ----- जिला/मंडल* -----
----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ----- जो -----
--- जाति/जनजाति* से संबद्ध हैं जिसे ----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*
में अनुसूचित जाति/ जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है के पिता/माता* श्री/श्रीमती* -----
-----को-----द्वारा दिनांक----- को जारी
प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी* -----और/या* उनका परिवार आमतौर से ग्राम/कस्बा*-----
----- जिला/मंडल* -----
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ----- में रहते/रहती हैं ।

हस्ताक्षर -----

**पदनाम -----

(कार्यालय की मोहर)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र*-----

स्थान-----

तारीख -----

* जो शब्द लागू न हों उसे कृपया काट दें ।

@ कृपया राष्ट्रपति का विशिष्ट आदेश निर्दिष्ट करें ।

% जो पैराग्राफ लागू न हों उसे कृपया काट दें ।

नोट:- यहां “आमतौर से रहते/रहती हैं” का अर्थ वही होगा जो रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल एक्ट, 1950 की धारा 20 में है ।

** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारियों की सूची :

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/##सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एकजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर ।
(प्रथम श्रेणी के स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे का न हो) ।
- (ii) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।
- (iii) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो ।
- (iv) उस इलाके का सब डिविजनल आफिसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर से रहता हो ।

(ख) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म ।

प्रमाणित किया जाता है श्री/श्रीमती/कुमारी* ----- सुपुत्र/सुपुत्री*
श्री/श्रीमती ----- जो जिला/मंडल* ----- के
गांव/कस्बा*----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* -----के/की*

निवासी हैं ----- समुदाय के/की हैं जिसे निम्नांकित के अधीन अन्य पिछड़ी श्रेणी होने की मान्यता प्राप्त है :-

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 186 में दिनांक 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10 सितम्बर, 1993 का संकल्प सं0 12011/68/93-बी.सी.सी. (सी.) ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 163 में दिनांक 20 अक्टूबर, 1994 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 19 अक्टूबर, 1994 का संकल्प सं0 12011/9/94-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 88 में दिनांक 25 मई, 1995 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 24 मई, 1995 का संकल्प सं0 12011/7/95-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 60 में दिनांक 11 मार्च, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 1996 का संकल्प सं0 12011/96/94-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 210 में दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 का संकल्प सं0 12011/44/96-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 236 में दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं0 12011/99/94-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 239 में दिनांक 17 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं0 12011/13/97-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 241 में दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 का संकल्प सं0 12011/68/98-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 270 में 6 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 का संकल्प सं0 12011/88/98-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 71 में दिनांक 4 अप्रैल 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 4 अप्रैल, 2000 का संकल्प सं0 12011/36/99-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 210 में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 21 सितम्बर, 2000 का संकल्प सं0 12011/44/99-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 246 में दिनांक 6 सितम्बर, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 सितम्बर, 2001 का संकल्प सं0 12011/9/2000-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 151 में दिनांक 20 जून, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 19 जून, 2003 का संकल्प सं0 12011/1/2001-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 9 में दिनांक 13 जनवरी, 2004 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 13 जनवरी, 2004 का संकल्प सं0 12011/4/2002-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 10 में दिनांक 16 जनवरी, 2006 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 16 जनवरी, 2006 का संकल्प सं0 12011/9/2004-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 67 में दिनांक 12 मार्च, 2007 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 12 मार्च, 2007 का संकल्प सं0 12011/14/2004-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 232 में दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 18 अगस्त, 2010 का संकल्प सं0 12015/2/2007-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 274 में दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 का संकल्प सं0 12015/2/2007-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 123 में दिनांक 16 जून, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 16 जून, 2011 का संकल्प सं0 12015/15/2008-बी.सी.सी. ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 257 में दिनांक 8 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 8 दिसंबर, 2011 का संकल्प सं0 12015/13/2010-बी.सी.-II ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 41 में दिनांक 17 फरवरी, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 17 फरवरी, 2014 का संकल्प सं0 12015/05/2011-बी.सी.-II ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 18 में दिनांक 19 जनवरी, 2017 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 18 जनवरी, 2017 का संकल्प सं020012/01/2017-बी.सी.-II ।

श्री/श्रीमती/कुमारी* ----- और/या उनका परिवार सामान्यतया
जिला/मंडल* ----- के गांव/कस्बा* -----
----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में निवास करते हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह*
कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 8.9.1993 के का.जा.
सं036012/22/93-स्था0 (एस.सी.टी.), दिनांक 9.3.2004 के का.जा. सं036033/3/2004-
स्था0 (आरक्षण) और दिनांक 14.10.2008 के जा0 सं0 36033/3/2004-स्था0 (आरक्षण)
तथा दिनांक 27.05.2013 के का.जा. सं. 36033/1/2013-स्था. (आरक्षण) की अनुसूची के
कालम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों*(सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमी लेयर से) संबंधित नहीं है ।

हस्ताक्षर -----

**पदनाम -----

(कार्यालय की मोहर)

राज्य/ संघ शासित क्षेत्र-----

स्थान-----

तारीख -----

(ख-1) भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले परिवचन का प्रारूप।

परिवचन

में ----- सुपुत्र/सुपुत्री श्री -----
निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर ----- जिला -----
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*----- एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं -----
-----समुदाय से संबद्ध हूं जो कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के दिनांक
8.9.1993 के का.जा. सं036012/22/93-स्था0 (एस.सी.टी.) में निहित आदेशों के अनुसार
सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के तौर पर मान्यता प्राप्त
है। मैं यह भी घोषित करता/करती हूं कि मैं समय-समय पर संशोधित किए गए दिनांक
8.9.1993 के ऊपर संदर्भित का.जा. और दिनांक 9.3.2004 तथा दिनांक 14.10.2008 के

का.जा. सं. 36033/3/2004-स्था0 (आरक्षण) तथा दिनांक 27.5.2013 के का.जा. सं.36033/1/2013-स्था.(आरक्षण) की अनुसूची के कालम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों *(सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमी लेयर से) संबंधित नहीं हूँ ।

हस्ताक्षर -----

उम्मीदवार का नाम -----

अनुक्रमांक-----

नोट: यहां “आमतौर से रहते/रहती हैं” का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है ।

* उन शब्दों को हटा दें जो लागू न हों।

** अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी वही रहेंगे जो अ.जा./अ.ज.जा. के प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं ।

@ जो लागू न हों उसे हटा दें ।

टिप्पणी 1 : अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि उनके प्रमाण-पत्र में दी गई उनकी जाति का नाम (वर्तनी सहित) ठीक वही होना चाहिए जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित किया गया है। जिस प्रमाण-पत्र में जाति के नाम में किसी प्रकार की भिन्नता होगी, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

टिप्पणी 2 : उम्मीदवार के अन्य पिछड़ी श्रेणी के होने के दावे का निर्धारण उस राज्य (या उस राज्य के किसी भाग) के आधार पर किया जाएगा जिससे उसके पिता मूलतः सम्बद्ध हैं । अतः वह उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के किसी भाग) में प्रव्रजन कर चुका है उसे अन्य पिछड़ी श्रेणी का वह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो उसे उसके पिता को उस राज्य जिसमें (पिता) मूलतः सम्बद्ध है से प्राप्त अन्य पिछड़ी श्रेणी के प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया हो।

टिप्पणी 3 : आयोग, सामान्यतः उम्मीदवार द्वारा इस परीक्षा के लिए अपने सरलीकृत आवेदन-प्रपत्र में दर्शायी गई जातीय स्थिति में किसी आधार पर किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा ।

परिशिष्ट-II

उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र निम्नानुसार है:-

प्रमाणित किया जाता है कि सं. ----- रैंक -----
नाम ----- यूनिट -----, रक्षा सेवाओं में कार्य
करते हुए, विदेशी शत्रु-देश के साथ संघर्ष में/अशांतिग्रस्त क्षेत्र* में फौजी कार्रवाई के दौरान
विकलांग हुए और उस विकलांगता के परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए।

हस्ताक्षर -----

पदनाम -----

दिनांक -----

*जो शब्द लागू न हो उसे कृपया काट दें ।

परिशिष्ट-III

(क) कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए लागू प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि सं. ----- रैंक -----
नाम -----, जिनकी जन्मतिथि ----- है, ने ----- से ----- तक
थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवा की है और वह निम्नलिखित में से एक शर्त पूरी करते
हैं:-

(क) उन्होंने पांच या उससे अधिक वर्ष की सैन्य सेवा की है और वे सुपुर्द कार्य की समाप्ति
पर कार्यमुक्त हुए हैं, न कि उन्हें कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त या कार्यमुक्त
किया गया है।

(ख) वे सैनिक सेवा के कारण हुई शारीरिक विकलांगता अथवा अक्षमता के कारण -----
----- को कार्यमुक्त हुए हैं ।

स्थान:-----

तारीख:-----

सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम
मुहर

(ख) सेवारत कर्मियों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म (उन सेवारत कर्मियों पर लागू होगा
जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं. -----
-- रैंक ----- नाम ----- दिनांक ----- से
थल सेना/नौ सेना/वायु सेना में सेवारत हैं और दिनांक ----- को सशस्त्र
सेनाओं में अपने विनियोजन की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी करने वाले हैं ।

स्थान:-----

दिनांक -----

कमान अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय की मुहर

“ख” प्रमाण पत्र देने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित परिवचन प्रस्तुत करना होगा :-

उम्मीदवारों द्वारा दिया जाने वाला परिवचन :

मुझे ज्ञात है कि यदि इस आवेदन-प्रपत्र से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर चयन हो जाता है तो मेरी यह नियुक्ति मेरे द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को इस आशय का दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मैं सशस्त्र सेनाओं से विधिवत् रूप से निर्मुक्त/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो गया हूँ और यह कि समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 की शर्तों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ग्राह्य लाभों का हकदार हूँ ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान -----

दिनांक -----

(ग) प्रमाण-पत्र का यह फार्म उन सेवारत आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों पर लागू होगा जिन्होंने अपनी सेवा की प्रारंभिक नियुक्ति अवधि पहले ही पूरी कर ली है और नियुक्ति की बढ़ाई गई अवधि पर हैं ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि सं. ----- रैंक -----
नाम -----, जिनकी जन्मतिथि ----- है, -----से
थल सेना/नौसेना/ वायु सेना में सेवारत हैं।

2. उन्होंने पहले ही प्रारंभिक कार्यकाल की पांच वर्ष की सेवा -----को पूरी कर ली है और अब वे ----- तक बढ़ाए गए कार्यकाल पर हैं।

3. सिविल रोज़गार हेतु उनके द्वारा आवेदन-पत्र देने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है तथा उनका चयन हो जाने पर उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के नोटिस पर कार्यमुक्त किया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम
मोहर

स्थान -----

दिनांक -----

प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:-

(क) कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) के मामले में :-

थल सेना--मिलिटरी सचिव शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

नौसेना -- कार्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

वायु सेना -- कार्मिक निदेशालय (अधिकारी), वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

(ख) जे.सी.ओ./ओ.आर. तथा नौसेना और वायु सेना के समकक्ष के मामले में:-

थल सेना --- विभिन्न क्षेत्रीय रिकार्ड कार्यालय द्वारा ।

नौसेना --- बी.ए.बी.एस., मुंबई ।

वायु सेना --- वायु सेना रिकार्ड (एन.ई.आर.डब्ल्यू.), नई दिल्ली ।

परिशिष्ट-IV

प्रपत्र - I

अशक्त व्यक्तियों द्वारा अशक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र

1. नाम
(उपनाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम)
2. पिता का नाम माता का नाम
3. जन्म तिथि ____/____/____
(तिथि) (माह) (वर्ष)
4. आवेदन के समय आयु : _____ वर्ष
5. लिंग : पुरुष/महिला
6. पता :

(क) स्थायी पता

(ख) वर्तमान पता (अर्थात् पत्राचार के लिए)

(ग) वर्तमान पते पर निवास करने की अवधि _____

7. शैक्षणिक योग्यता (कृपया जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

(i) स्नातकोत्तर

(ii) स्नातक

- (iii) डिप्लोमा
- (iv) हायर सेकेंडरी
- (v) हाई स्कूल
- (vi) मिडिल
- (vii) प्राइमरी
- (viii) अशिक्षित

8. व्यवसाय
9. पहचान के चिन्ह (i) (ii)
10. अशक्तता की प्रकृति : चलने में असमर्थ/श्रवण बाधित/ दृष्टि बाधित/ मानसिक/अन्य
11. वह अवधि जब से अशक्त हैं : जन्म से/वर्ष..... से
12. (i) क्या आपने पूर्व में कभी अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है हां/नहीं
- (ii) यदि हां, तो विवरण दें :
- (क) किस प्राधिकारी और जिले में आवेदन किया है.....
- (ख) आवेदन का परिणाम
13. क्या आपको पूर्व में कभी अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो कृपया सही प्रतिलिपि संलग्न करें।

घोषणा : मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सभी विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है अथवा गलत नहीं व्यक्त की गई है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे आवेदन पत्र में कोई गलती पाई जाती है तो मुझे प्राप्त लाभ, यदि कोई हो, जब्त किया जा सकता है और विधि के अनुसार मेरे विरुद्ध अन्य कार्रवाई की जा सकती है।

(अशक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर अथवा
बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अथवा
मानसिक अशक्तता (मेंटल रिटार्डेशन), ऑटिज्म,
प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और
एकाधिक अशक्तता वाले व्यक्तियों के मामले में
उनके विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर अथवा
बाएं हाथ के अंगूठे का निशान)

दिनांक :

स्थान :

संलग्नक :

1. निवास का प्रमाण (कृपया जो लागू हो उसे चिन्हित करें)
 - (क) राशन कार्ड,
 - (ख) मतदाता पहचान पत्र,
 - (ग) ड्राइविंग लाइसेंस,
 - (घ) बैंक पासबुक,
 - (ङ.) पैन कार्ड,
 - (च) पासपोर्ट,
 - (छ) टेलीफोन, विद्युत, जल और अन्य उपभोज्य बिल जिसमें आवेदक का पता लिखा हो,
 - (ज) पंचायत, नगरपालिका, छावनी बोर्ड, किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा संबंधित पटवारी अथवा किसी सरकारी स्कूल के हैडमास्टर द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र,
 - (झ) अशक्त, निराश्रित, मानसिक रोग, आदि से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए निवास संस्थान के मामले में ऐसे संस्थान के प्रमुख से निवास प्रमाण पत्र
2. पासपोर्ट आकार के दो नवीनतम फोटोग्राफ

(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

दिनांक :

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :

मोहर

प्रपत्र - II

अशक्तता प्रमाण पत्र

(अंगच्छेदन या अंगों के पूर्ण रूप से स्थायी पक्षाघात के मामले में और दृष्टिहीन व्यक्तियों के मामले में)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

अशक्त व्यक्ति का
वर्तमान पासपोर्ट
आकार का स्व-
अनुप्रमाणित फोटो
(केवल चेहरा दर्शाया
हो)

प्रमाण पत्र सं.

दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी
_____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
जन्म तिथि _____ आयु _____ वर्ष, पुरुष/महिला _____
(तिथि / माह / वर्ष)

पंजीकरण सं. _____ स्थायी निवासी मकान नं. _____
वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट _____ डाकघर _____ जिला _____
राज्य _____ और जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक
जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूँ कि :

(क) वह निम्न रोग से ग्रस्त हैं:

- चलने में असमर्थ
- दृष्टिहीन

(कृपया जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

(ख) उनके मामले मेंनिदान है।

(ग) मार्गनिर्देशों के अनुसार (विशेष रूप से उल्लेख) उन्हें% (अंकों में)
..... प्रतिशत (शब्दों में) उनके.....(शरीर का अंग) के संबंध
में स्थायी शारीरिक अक्षमता/दृष्टिबाधिता है।

2. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

उस व्यक्ति के
हस्ताक्षर/अंगूठे का
निशान जिसके नाम से
अशक्तता प्रमाण पत्र
जारी किया गया है।

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के
हस्ताक्षर और मोहर)

प्रपत्र - IV

अशक्तता प्रमाण पत्र

(फार्म II में उल्लिखित मामलों से अन्यथा)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

अशक्त व्यक्ति का
वर्तमान पासपोर्ट
आकार का
स्व-अनुप्रमाणित
फोटो (केवल चेहरा
दर्शाया हो)

प्रमाण पत्र सं.

दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
जन्म तिथि _____ (दिनांक/माह/वर्ष) आयु _____ वर्ष,
पुरुष/महिला _____ पंजीकरण सं. _____ स्थायी निवासी मकान नं.
_____ वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट _____ डाकघर _____

जिला _____ राज्य _____ और जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया
गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूँ कि वह _____ अशक्तता से
ग्रस्त हैं। मार्गनिर्देशों के अनुसार (विशेष रूप से उल्लेख किया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक
दौर्बल्य/अशक्तता के प्रतिशत की सीमा को आकलित किया गया है और नीचे तालिका में
संगत अशक्तता के सामने दर्शाया गया है:

क्रम सं.	अशक्तता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/ मानसिक अक्षमता (% में)
1.	चलने में असमर्थ	@		
2.	कम दृष्टि	#		
3.	दृष्टिहीन	दोनों आंखों से		
4.	श्रवण बाधित	\$		
5.	मानसिक मन्दता	X		

6.	मानसिक व्याधि	X		
----	---------------	---	--	--

(कृपया उस अशक्तता को काट दें जो लागू नहीं हैं)

2. इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/सुधार न होने की संभावना है।

3. अशक्तता का पुनः आकलन :

(i) आवश्यक नहीं है,

अथवा

(ii) की अनुशंसा की जाती है/..... वर्षोंमाह के उपरांत और इसलिए यह प्रमाण पत्र _____ तक के लिए वैध रहेगा।

(तिथि) (माह) (वर्ष)

@ उदाहरण बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

एक आंख/दोनों आंख

\$ बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम और मोहर)

उस व्यक्ति के
हस्ताक्षर/अंगूठे का
निशान जिसके नाम से
अशक्तता प्रमाण पत्र
जारी किया गया है।

प्रतिहस्ताक्षर

{सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा
अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/
प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षर(मोहर सहित),
उस स्थिति में जब
यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा
जारी किया गया है जो
सरकारी कर्मचारी नहीं है}

टिप्पणी : यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही वैध होगा।

टिप्पणी : मुख्य नियम, दिनांक 31 दिसंबर, 1996 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 908(ई) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

11. उम्मीदवार यह नोट कर लें कि सम्मिलित चिकित्सा सेवा, 2017 के लिए उनकी उम्मीदवारी पूर्णतः अनंतिम है, जो उनके द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यक्षीन है। यदि परीक्षा के पहले या बाद में किसी भी स्तर पर जांच करने पर यह पाया गया कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत की जानी हैं।

टिप्पणी :- उम्मीदवार, मुद्रित ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र के साथ भेजे जाने वाले सभी प्रमाण-पत्रों की स्कैन की गई प्रतियों पर हस्ताक्षर करें और तारीख भी लिखें।

12. जिन मामलों ऑनलाइन विस्तृत आवेदन-प्रपत्र सभी अनुलग्नकों रहित या मात्र कुछेक अनुलग्नकों सहित प्राप्त होंगे, उनमें संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि उम्मीदवार छूट गए दस्तावेजों को बाद में भेजते हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र की स्कैन की गई प्रतियां भली-भांति भरी गई हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र, सभी संगत दस्तावेजों सहित, निर्धारित समय-सीमा के अंदर जमा किया गया है। आवेदन-प्रपत्र का कोई भी कॉलम रिक्त न छोड़ा जाए।

13. उम्मीदवार, अपने आवेदन-पत्र के संबंध में आयोग को जो पत्रादि भेजें, उनमें परीक्षा का नाम, अपना पूरा नाम, अनुक्रमांक, पंजीकरण आईडी(11 अंकीय) तथा अपनी जन्म तिथि अवश्य लिखें।

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
COMBINED MEDICAL SERVICES EXAMINATION, 2017
INSTRUCTIONS TO CANDIDATES FOR FILLING IN THE DETAILED APPLICATION FORM

The candidates should read these instructions carefully before filling in the online Detailed Application Form. The candidate should also scan their relevant original documents as listed below in 200 dpi grey scale and convert to a single pdf file up to 2 mb, before filling in the online Detailed Application Form (DAF). The pdf file so created must not be password protected and it should be uploaded along with the online submission of DAF.

- (I) Scanned copy of the certificate of age.
- (II) Scanned copy of the certificates showing his/her educational qualification prescribed in para 3(iii) of the Notice of the Examination uploaded on the website of Commission and **Rule 6** of the Rules of Examination published in the Gazette of India dated 26th April, 2017.
- (III) Scanned copy of the certificate in support of claim to belong to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Physically Handicapped (wherever applicable).
- (IV) A scanned copy of Undertaking duly signed by the candidate seeking relaxation as OBC candidate in support of claim of not belonging to creamy layer, to be given in format as mentioned in para B-1 of Appendix I.
- (V) A scanned copy of duly filled in and signed proforma given as Annexure to Detailed Application Form by the Candidate seeking relaxation as OBC candidate.
- (VI) Scanned copy of the certificate in support of claim of age concession, wherever applicable.
- (VII) Scanned copy of the certificate in support of claim to being physically handicapped (wherever applicable).
- (VIII) Scanned copy of the certificate of eligibility for grant of age relaxation for ad-hoc doctors of Ministry of Railways [Refer Para 3(II) (b) (viii)].

Originals of the above certificates are required to be produced along with self certified copies of all the documents at the time of interview or within the last day of interview, which will be published in the Commission's website in due course, failing which their candidature is liable to be cancelled. It may also be noted that in no case the last date of verification of certificates will be extended. Candidates must also note that they should upload only the scanned copies of the original documents and no document is required to be sent by post.

2. Candidates are advised to read carefully the Rules of the Examination, which include conditions of eligibility etc. as published in the Gazette of India dated 26th April, 2017. They should note that no correspondence will be entertained by the Commission from candidates to change any of the entries made in the application form. They should, therefore, take special care to fill up the online application form correctly.

In case there are any incomplete or misleading entries, the candidates will be responsible for the consequences thereof.

3. Candidates are requested to specify clearly in the relevant column of the application form the Services/Posts for which they wish to be considered in order of preference. They are advised to indicate as many preferences as they wish to so that having regard to the rank in the order of merit, due consideration can be given to their preferences when making appointment.

Note I : Candidates for the post of Asstt. Divisional Medical Officer in the Railways are also required to give their option for not more than five Zonal Railways in order of preference. While making their allocation to the various Zonal Railways these preferences shall be taken into consideration but it does not mean that the candidate shall be allocated to one of these Railways only. As the service is meant to cover the entire country, a candidate is transferable to any zone of the Indian Railways.

Note II : No request for addition/alteration in the preferences already indicated by a candidate in his/her application will be entertained by the Commission.

4. The information earlier given by candidates in the application form for the Examination will be cross-checked with the information given by them in this application form. If there are any serious discrepancies, their candidature will be cancelled.

5. A candidate who claims to belong to any of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes should submit in support of his/her claim a **scanned** copy of the certificate in the form given in **Appendix-I** from the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other officer as indicated below of the district in which his/her parents (or surviving parents) ordinarily reside. Such an officer should have been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his/her parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself/herself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his/her own education.

6. A candidate must submit alongwith his/her application a **scanned** copy of the certificate showing his/her educational qualification prescribed in para 3(iii) of the Notice for the Examination uploaded on the website of Commission on 26th April, 2017 and in Rule 6 of the rules for the Examination published in the Gazette of India dated 26th April, 2017. The certificate uploaded must be one issued by the authority (i.e. University or other examining body) awarding the particular qualification.

7. A candidate must **upload** with his/her **online Detailed Application From a scanned** copy of certificate of age (including his/her date of birth). The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which must be certified by the proper authority of the University. A candidate who has passed the Higher Secondary Examination or an equivalent Examination may submit a **scanned** copy of the Higher Secondary Examination certificate or an equivalent certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, Service Records and the like, will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination certificate in this part of the instruction includes the alternative certificate mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases, a candidate must send in addition to the Matriculation/Higher Secondary Examination certificate a **scanned** copy of the certificate from the Headmaster/Principal of the Institution from where he/she passed the Matriculation/Higher Secondary Examination, showing date of his/her birth or his/her exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with the application, the candidature of the candidate will be rejected.

Note 1 : A CANDIDATE WHO HOLDS A COMPLETED SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE NEED SUBMIT A **SCANNED** COPY OF THE PAGE CONTAINING ENTRIES RELATING TO AGE ONLY.

Note 2 : CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONLY THE DATE OF BIRTH AS RECORDED IN THE MATRICULATION / HIGHER SECONDARY EXAMINATION CERTIFICATE OR AN EQUIVALENT CERTIFICATE ON THE DATE OF SUBMISSION OF APPLICATION WILL BE ACCEPTED BY THE COMMISSION AND NO

SUBSEQUENT REQUEST FOR ITS CHANGE WILL BE CONSIDERED OR GRANTED.

8 (i) A candidate claiming age-relaxation as a domicile of the State of Jammu and Kashmir should produce a **scanned** copy of a certificate from the District Magistrate within whose jurisdiction he/she had ordinarily resided or from any other authority designated in that behalf by the Government of Jammu and Kashmir to the effect that he/she had ordinarily been domiciled in the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to the 31st day of December, 1989.

(ii) A candidate disabled while in the Defence Services claiming age concession should produce a **scanned** copy of the certificate in the form **given in Appendix-II** from the Director General Resettlement, Ministry of Defence to show that he was disabled while in the Defence Services in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof.

(iii) Ex-servicemen including the Commissioned Officers and ECOs/SSCOs claiming age concession should produce a **scanned** copy of the certificate as applicable to them, in the form **given in Appendix-III** from the authorities concerned.

(iv) A candidate who has claimed age relaxation and/or fee exemption on account of his being physically challenged must submit a scanned copy of the certificate issued by a Medical Board duly constituted by the Central/State Government in the format given in **Appendix-IV**.

Appendix-I

A. The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*.....
son/daughter* of Shri of village/town*..... in
District/Division* of the State/Union Territory* belongs to the
..... caste/tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe*
under :—

the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950@.

the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950@.

the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951@.

the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951@.

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960; the Punjab Reorganisation Act, 1966; the State of Himachal Pradesh Act, 1970; the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976. the State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman & Diu (Reorganisation) Act, 1987.]

the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956@.

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976. @

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962. @

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962. @

the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964. @

the Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967. @

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968. @

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968. @

the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970. @

the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.@

the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.@

the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.@

the Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990.@

the Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991.@

the Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act, 1991.@

the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002@

the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2002@

the Constitution (Scheduled Castes) Order (Second Amendment) Act, 2002@

%2. Applicable in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe* certificate issued to Shri/Shrimati* Father/Mother of Shri/Shrimati/Kumari* of village town* in District Division* of the State/Union Territory* who belongs to the caste/tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/Union Territory* of issued by the dated

% 3. Shri/Shrimati/Kumari* and/or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/town* of District/Division* of the State/Union Territory* of

Signature

**Designation

(With Seal of Office)
State/Union Territory*

Place :

Date :

*Please delete the words which are not applicable.

@Please quote specific Presidential Order.

% Delete the paragraph which is not applicable.

Note : The term "Ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/†Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.

†(not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides.

(B) The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* son/daughter* of village/town* in District/Division* of the State/Union Territory* belongs to the Community which is recognised as a backward class under :

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/68/93-BCC(C) dated 10th September, 1993 published in the Gazette of India, Extraordinary Part-I, Section-1, No.186 dated the 13th September, 1993.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/9/94-BCC dated 19-10-94, published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.163 dated 20-10-1994.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/7/95-BCC dated 24-5-95, published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.88 dated 25-5-1995.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.60 dated 11th March, 1996.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/44/96-BCC dated 6th December, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.210 dated 11-12-1996.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/99/94-BCC dated the 11th December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.236 dated the 12th December, 1997.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/13/97-BCC dated the 3rd December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No. 239 dated the 17th December, 1997.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/68/98-BCC dated the 27th October, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 241 dated the 27th October, 1999.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/88/98-BCC dated the 6th December, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 270 dated the 6th December, 1999.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/36/99-BCC dated 4th April, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 71 dated the 4th April, 2000.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/44/99-BCC dated the 21st September, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 210 dated the 21st September, 2000.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/9/2000-BCC dated the 6th September, 2001 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 246 dated the 6th September, 2001.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19th June, 2003 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.151 dated the 20th June, 2003.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13th January, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 9 dated the 13th January, 2004.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16th January, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 10 dated the 16th January, 2006.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/14/2004-BCC dated 12th March, 2007 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 67 dated the 12th March, 2007.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/2/2007-BCC dated 18th August, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 232 dated the 18th August, 2010.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/2/2007-BCC dated 11th October, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.274 dated the 12th October, 2010.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/15/2008-BCC dated 16th June, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.123 dated the 16th June, 2011.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/13/2010-BC-II dated 8th December, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 257 dated the 8th December, 2011.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/05/2011-BC-II dated the 17th February, 2014 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.41 dated the 17th February, 2014.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/04/2014-BC-II dated the 14th January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.16 dated the 14th January, 2015.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/07/2014-BC-II dated the 23rd January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.26 dated the 23rd January, 2015.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/01/2015-BC-II dated the 27th May, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.144 dated the 27th May, 2015.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/05/2011-BC-II dated the 14th July, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.191 dated the 15th July, 2015.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/06/2014-BC-II dated the 09th September, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.234 dated the 09th September, 2015.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/13/2016-BC-II dated the 25th May, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.160 dated the 26th May, 2016.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/14/2016-BC-II dated the 13th June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.188 dated the 15th June, 2016.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/15/2016-BC-II dated the 30th June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.206 dated the 30th June, 2016.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/04/2014-BC-II dated the 11th August, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.266 dated the 11th August, 2016.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/06/2014-BC-II dated the 06th December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.363 dated the 07th December, 2016.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/13/2016-BC-II dated the 22nd December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.374 dated the 22nd December, 2016.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.20012/01/2017-BC-II dated the 18th January, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.18 dated the 19th January, 2017.

Shri/Shrimati/Kumari*..... and/or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/town*..... of District/Division* of the State/Union Territory* of This is also to certify that he/she* does not belong to the persons/sections* (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt(SCT) dated 8-9-1993, O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 9th March, 2004 and O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 14th October, 2008 and O.M.No.36033/1/2013-Estt. (Res.) dated 27th May, 2013.

Signature.....
**Designation.....
(with seal of office) State/U.T.*

Place.....
Date.....

(B-1) The format of undertaking to be furnished along with the Detailed Application Form by Other Backward Class candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

UNDERTAKING

I son/daughter of Shri resident of Village/Town/City District State/UT hereby declare that I belong to the

community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel & Training Office Memorandum No.36012/22/93-Estt(SCT) dated 08.09.1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 08.09.1993 and O.M. No.36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 9.3.2004 and 14.10.2008 and O.M.No.36033/1/2013-Estt. (Res.) dated 27th May, 2013 as amended from time to time.

Signature

Name of the Candidate

Roll No

Note : The term “ordinarily reside(s)” used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

*Please delete the words which are not applicable.

**Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled Castes/Scheduled Tribes certificates.

@Strike out whichever is not applicable.

Note 1 : Candidates claiming to belong to OBCs should note that the name of their caste (including its spellings) as indicated in their certificates, should be exactly the same as published in the lists notified by the Central Government from time to time. A certificate containing any variation in the caste name will not be accepted.

Note 2 : The OBC claim of a candidate will be determined in relation to the State (or part of the State) to which his/her father originally belongs. A candidate who has migrated from one State (or part of the State) to another should, therefore, produce an OBC certificate which should have been issued to him/her based on his/her father’s OBC certificate from the State to which he (father) originally belongs.

Note 3 : No change in the community status already indicated by a candidate in his/her simplified application form for this examination will ordinarily be allowed by the Commission.

Appendix-II

The form of certificate to be produced by the candidate is :—

Certified that Rank No. Shri
 of Unit was disabled while
 in the Defence Services in operations during hostilities with a foreign country/in a disturbed
 area* and was released as a result of such disability.

Signature.....

Designation.....

Date.....

*Strike out whichever is not applicable.

Appendix-III

(A) Form of certificate applicable for Released/Retired personnel.

It is certified that No..... Rank Name
 whose date of birth is has
 rendered service from to in Army/Navy/Air Force and he fulfils ONE
 of the following conditions—

- (a) Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.
- (b) Has been released on account of physical disability attributable to military service or on invalidment on

Station :

Date :

Name and Designation of the
Competent Authority
SEAL

(B) Form of certificate applicable for serving personnel (Applicable for serving personnel who are due to be released within one year).

I hereby certify that, according to the information available with me No.
Rank Name is serving in the Army/Navy/Air
Force from and is due to complete the specified term of his
engagement with the Armed Forces on the date

Place :

Signature of commanding Officer

Date :

Office Seal

Candidates furnishing certificate B as above will have to give the following undertaking
:—

UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE CANDIDATE :

I understand that, if selected on the basis of the Recruitment/Examination to which this application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the appointing authority that I have been duly released/retired/discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen (Re-employment in Central Civil Service and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.

Signature of Candidate

Station :

Date :

(C) Form of Certificate applicable for serving ECOs/SSCOs who have already completed their initial assignment and are on extended assignment.

It is certified that No. Rank Name
..... whose date of birth is is serving in the
Army/Navy/Air Force from

2. He/She has already completed his/her initial assignment of five years on
..... and is on extended assignment till

3. There is no objection to his/her applying for civil employment and he/she will be released on three months' notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.

Name and Designation of the
Competent Authority
SEAL

Station :

Date :

Authorities who are competent to issue certificate are as follows :—

- (a) *In case of Commissioned Officers including ECOs/SSCOs.*
Army—Military Secretary Branch, Army Hqrs., New Delhi.
Navy—Directorate of Personnel, Naval Hqrs., New Delhi.
Air Force—Directorate of Personnel Officers, Air Hqrs., New Delhi.
- (b) *In case of JCO/ORs and equivalent of the Navy and Air Force.*
Army—By various Regimental Record Officers.
Navy—BABS, Bombay.
Air Force—Air Force Records NERW, New Delhi.

Appendix- IV

Form-I
APPLICATION FOR OBTAINING DISABILITY CERTIFICATE BY PERSONS WITH DISABILITIES

1. Name
(Surname) (First name) (Middle name)
2. Father's NameMother's Name
3. Date of Birth/...../.....
Date Month Year
4. Age at the time of application : Year
5. Sex Male / Female
6. Address :
 - (a) Permanent address
 - (b) Current address (i.e. for communication).....
.....
.....
.....
- (c) Period since when residing at current address.....
7. Educational status (Pl. tick as application)
 - (i) Post Graduate
 - (ii) Graduate
 - (iii) Diploma
 - (iv) Higher Secondary
 - (v) High School
 - (vi) Middle
 - (vii) Primary
 - (viii) Illiterate
8. Occupation
9. Identification mark : (i) (ii)
10. Nature of disability : Locomotor/hearing/visual/mental/others
11. Period since when disabled : From Birth/Since year
12. (i) Did you ever apply for issue of a disability certificate in the past YES/NO
(ii) If yes, details :
 - (a) Authority to whom and district in which applied
 - (b) Result of application
13. Have you ever been issued a disability certificate in the past? If yes, please enclose a true copy.

Declaration : I hereby declare that all particulars stated above are true to the best of my knowledge and belief, and no material information has been concealed or misstated. I further state that if any inaccuracy is detected in the application, I shall be liable to forfeiture of any benefits derived and other action as per law.

.....
(Signature or left thumb impression of

person with disability, or of his/her legal guardian in case of persons with mental retardation, autism, cerebral palsy and multiple disabilities)

Dated :

Place :

Encl :

1. Proof of residence (Please tick as applicable)
 - (a) ration card,
 - (b) voter identity card,
 - (c) driving license,
 - (d) bank passbook
 - (e) PAN card,
 - (f) passport,
 - (g) telephone, electricity, water and any other utility bill indicating the address of the applicant,
 - (h) a certificate of residence issued by a Panchayat, municipality, cantonment board, any gazetted officer or the concerned Patwari or Head Master of a Govt. school,
 - (i) in case an inmate of a residential institution for persons with disabilities, destitute, mentally ill, etc., a certificate of residence from the head of such institution.

2. Two recent passport size photographs

(For office use only)

Date:
Place:

Signature of issuing authority
Stamp

Form - II

DISABILITY CERTIFICATE

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs and in cases of blindness)

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

Recent PP size Self Attested Photograph (Showing face only) of the person with disability
--

Certificate No.

Date :

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum.

Son/wife/daughter of Shri

Date of Birth _____ Age _____ years,
male/female _____
(DD/MM/YY)

Registration No. _____ permanent resident of House No.
 _____ Ward/Village/Street
 _____ Post Office _____ District _____ State
 _____,

whose photograph is affixed above, and am satisfied that :

- (A) he/she is a case of :
- Locomotor disability
 - Blindness
- (Please tick as applicable)
- (B) the diagnosis is his/her case is
- (C) He/She has% (in figure)..... Percent (in words)
 permanent physical impairment/blindness in relation to his/her(part of
 body) as per guidelines (to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Signature and Seal of authorized Signature of notified Medical Authority)

Signature/Thumb impression of the person in whose favour disability certificate is issued.
--

Form - IV

DISABILITY CERTIFICATE

(In cases other than those mentioned in Forms II)

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

Recent PP size Self
Attested
Photograph
(Showing face
only) of the person
with disability

Certificate No. _____

Date : _____

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum.
_____ son/wife/daughter of Shri
_____ Date of Birth _____ Age
_____ years, male/female _____ Registration No. _____ (

DD / MM / YY)

permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office
_____ District _____ State _____, whose

photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of _____

Disability. His/her extent of percentage physical impairment /disability has been evaluated as per guidelines (to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:

Sl. No.	Disability	Affected Part of Body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Low vision	#		
3.	Blindness	Both Eyes		
4.	Hearing Impairment	\$		
5.	Mental retardation	X		
6.	Mental-illness	X		

(Please strike out the disabilities which are not applicable.)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,

Or

(ii) is recommended/after _____ years _____ months, and therefore this certificate shall be valid till

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/Right/both arms legs

Single eye/both eyes

\$ Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Authorised Signatory of notified Medical Authority)
(Name and Seal)

Signature/Thumb impression of the person in whose favour disability certificate is issued.
--

Countersigned

{Countersignature and seal of the CMO/
Medical Superintendent/Head of Government Hospital,
in case the certificate is issued By a medical authority
who is not a government servant (with seal)}

Note : In case this certificate is issued by a medical authority who is not a government servant, it shall be valid only in countersigned by the Chief Medical Officer of the District."

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.O. 908(E), dated 31st December, 1996.

11. The candidates should note that their candidature for the Combined Medical Services Examination, 2017 will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any stage before or after the examination it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

Originals of the above certificates are required to be produced at the time of interview.

NOTE :—Candidates are required to sign the scanned copies of all certificates sent along with the printed copy of online application and also to put the date.

12. Any Detailed Application Form received without all or some of the documents will entail cancellation of candidature. Any missing documents sent subsequently by the candidate will not be entertained. The candidates must ensure that the scanned copies of online application form is properly filled in and is accompanied by all the relevant documents within the prescribed time. No column of the online application should be left blank.

13. In all communications with the Commission regarding his/her application, the candidate should mention the name of the Examination, his full name, Roll Number, Registration ID (11 digits) and date of birth.
